राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.4 परावि/आप्र/PEAIS/2010-11/ 633 जयपुर, दिनांक 28/07/2011

1. **जिला कलक्टर –समस्त**
2. **उप खण्ड अधिकारी– समस्त**

विषयः– Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme (PEAIS) योजना 2010–11 के तहत पंचायती राज संस्थाओं का चयन करने के सम्बन्ध में।

संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कोष, कार्मिक एवं गतिविधियां हस्तान्तरित/क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई कार्यवाही का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme क्रियान्वित की जा रही है।

Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme 2010–11 के तहत राज्य सरकार को पुरस्कार स्वरूप 150.00 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है। उक्त राशि का उपयोग बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत करने हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया है। चयनित पंचायती राज संस्थाओं को 2 अक्टूबर, 2011 को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जावेगा।

अतः योजना 2010–11 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैः–

1. योजनान्तर्गत पुरस्कार राशि तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं को निम्नानुसार उपलब्ध करवाई जावेगी।:–

क.सं.	पंचायती राज संस्था का नाम	पुरस्कार हेतु चयनित होने वाली पंचायती राज संस्थाओ की संख्या	प्रति पंचायती राज संस्था को प्राप्त होने पुरस्कार की राशि (लाख रूपये में)	कुल राशि (लाख रूपये में)
1	जिला परिषद	1	15.00	15.00
2.	पंचायत समिति	7 (प्रत्येक संभाग के लिये एक पं.स.)	9.00	63.00
3.	ग्राम पंचायत	14 (प्रत्येक संभाग के लिये 2 ग्रा.पं.)	5.00	70.00
4.	संस्थापन व्यय		2.00	2.00
योग				**150.00**

2. पुरस्कार राशि का उपयोग सम्बन्धित संस्थायें स्वयं के कार्यालयों में तकनीकी एवं आधारभूत सुविधाओं हेतु कर सकेंगी। पुरस्कार राशि के उपयोग हेतु राज्य स्तर से पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जावेंगे।

3. जिला परिषद, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर चयन किया जावेगा। चयन हेतु राज्य स्तर से पृथक सकेंतांक/अनुसूची (जिला परिषद के लिये–"अ, पंचायत समिति के लिये ब एवं ग्राम पंचायत के लिये स") निर्धारित की गई है, जो संलग्न है। उक्त अनुसूचियों को पंचायती राज संस्थाओ को भिजवाकर सूचनायें प्राप्त की जावेगी एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संस्थाओं का मूल्यांकन किया जावेगा। यह अनुसूची योजना वर्ष 2010–11 के लिये ही लागू होगी। योजना वर्ष 2011–12 के लिये पंचायती राज संस्थाओं के चयन हेतु भारत सरकार द्वारा विस्तृत प्रश्नावली/अनुसूची/सकेंतांक तैयार किये गये है जो पृथक दिशा–निर्देशों के साथ उपलब्ध करवाये जावेगें।

4. योजनान्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं का चयन करने हेतु राज्य स्तर पर शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति, जिला परिषद स्तर पर, जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति एवं ब्लॉक स्तर पर उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। इन समितियों के द्वारा योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यो का उल्लेख, समितियों के संलग्न गठन आदेशों में किया गया है। उक्त समितियां योजना वर्ष 2010–11 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चयन के साथ – साथ आगामी योजना वर्षो के लिये भी पंचायती राज संस्थाओं के चयन एवं योजना क्रियान्वयन हेतु सोपें गये कार्यो का निष्पादन करेंगी।

5. जिला परिषदों के मूल्यांकन से सम्बन्धित सूचनायें, जिला परिषद के लिये निर्धारित अनुसूची–"अ" के अनुसार जिला परिषद द्वारा जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति को उपलब्ध करवाई जावेगी। जिला स्तरीय समितियों द्वारा उक्त सूचनाओं की पुष्टि करते हुए राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध करवाई जावेंगी। राज्य स्तरीय समितियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एक जिला परिषद का चयन किया जावेगा।

6. पंचायत समितियों के चयन की प्रक्रिया के तहत पंचायत समिति द्वारा, पंचायत समितियों के लिये निर्धारित अनुसूची–"ब" अनुसार सूचनायें ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति को उपलब्ध करवाई जावेगी। ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति द्वारा उक्त सूचनाओं की पुष्टि करते हुए जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति को उपलब्ध करवाई जावेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जिले के लिये एक पंचायत समिति का चयन कर राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित किया जावेगा। इस प्रकार राज्य स्तरीय समिति को प्रत्येक जिले से एक पंचायत समिति, कुल 33 पंचायत समितियों के नाम प्राप्त होंगे, जिनमें से राज्य स्तरीय समिति प्रत्येक संभाग के लिये 1, कुल 7 पंचायत समितियों का चयन कर सकेगी।

7. ग्राम पंचायत के चयन की प्रक्रिया के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायत के लिये निर्धारित अनुसूची "स" अनुसार ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सूचनायें ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति को उपलब्ध करवाई जावेगी। ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि करते हुए प्रत्येक ब्लॉक के लिये एक ग्राम पंचायत का चयन कर जिला स्तरीय समिति को अग्रेषित करेगी। इस प्रक्रियानुसार जिला स्तरीय समिति के समक्ष जिले के ब्लाक की संख्या के समतुल्य ग्राम पंचायत के नाम उपलब्ध होगें। जिला स्तरीय समिति द्वारा उनमें से एक ग्राम पंचायत का चयन कर राज्य स्तरीय समिति को भिजवाया जावेगा। इस प्रकार राज्य स्तरीय समिति को प्रत्येक जिले से एक ग्राम पंचायत, कुल 33 ग्राम पंचायतों के नाम प्राप्त होंगे, जिनमें से राज्य स्तरीय समिति प्रत्येक संभाग के लिये 2, कुल 14 ग्राम पंचायतों का चयन कर सकेगी।

8. ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरीय समितियों के स्तर पर चयनित की गई ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषदों से सम्बन्धित सूचनाओं की पुष्टि किसी सक्षम प्राधिकारी (राज्य स्तरीय

समिति द्वारा अनुमोदित) से कराई जावेगी। उपलब्ध कराई गई सूचनाओं की पुष्टि नही होने की स्थिति में राज्य स्तरीय समिति ऐसी स्थिति में जिलों द्वारा प्रस्तावित अन्य पंचायत समितियों/ग्राम पंचायत के नामों पर विचार कर सकेगी। चयनित जिला परिषद से सम्बन्धित सूचनाओं की पुष्टि नही होने की स्थिति में राज्य स्तरीय समिति अन्य जिला परिषद का नाम प्रस्तावित कर सकेगी परन्तु पुरस्कार के लिये नामित करने से पूर्व सभी सूचनाओं के सही होने की पुष्टि आवश्यक रूप से की जावेगी।

9. मार्किंग योजना के अनुसार राज्य स्तरीय समिति के समक्ष चयनित की जाने वाली पंचायती राज संस्थाओं के मूल्यांकन अंक समान होने की स्थिति में संस्थाओं के चयन में समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

10. ब्लॉक/जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों से सम्बन्धित सूचनाओं की सत्य प्रतिलिपि भी उपलब्ध करवाई जावेगी। जिला परिषदों से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करवाई जावेगी।

11. योजनान्तर्गत चयनित पंचायती राज संस्थाओं को 2 अक्टूबर, 2011 को पुरस्कृत किया जावेगा। इसे दृष्टिगत रखते हुए एक कार्ययोजना तैयार की गई है जो निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	कार्य/गतिविधि का नाम	कार्य पूर्ण करने की दिनांक
	ग्राम पंचायत स्तर पर	
1.	ग्राम पंचायत स्तरीय सूचनाओं की पूर्ती कर ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति को उपलब्ध करवाना	12.08.2011
पंचायत समिति स्तर पर		
1.	पंचायत समिति स्तरीय सूचना की पूर्ती कर जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति को उपलब्ध करवाना	12.08.2011
2.	ग्राम पंचायत से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक के लिये एक ग्राम पंचायत का चयन कर जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति को अग्रेषित करना	24.08.2011
जिला परिषद स्तर पर		
1.	जिला परिषद स्तरीय सूचना की पूर्ती कर राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति को उपलब्ध करवाना	12.08.2011
2.	पंचायत समितियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक जिले के लिये एक ग्राम पंचायत तथा एक पंचायत समिति का चयन कर राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति को अग्रेषित करना।	06.09.2011
राज्य स्तर पर		
1.	योजनान्तर्गत जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुरस्कार हेतु निर्धारित संख्या में पंचायती राज संस्थाओं का चयन करना	16.09.2011
2.	पुरस्कार राशि के उपयोग के दिशा–निर्देश जारी करना	23.09.2011
3.	चयनित संस्थाओं को पारितोषिक वितरण करना	02.10.2011

12. कार्ययोजना में निर्धारित अवधि अनुसार वांछित सूचनायें प्रेषित नही करने वाली पंचायती राज संस्थाओं के नामों पर पुरस्कार हेतु विचार नही किया जावेगा।

13. योजनान्तर्गत प्रिंटिंग/स्टेशनरी/पोस्टेज एवं अन्य आवश्यक व्ययों के पुर्नभरण हेतु राज्य स्तर पर योजना मद में राशि 2.00 लाख आरक्षित की गई है। जिला परिषद स्तर पर उक्त व्ययों की पूर्ती SFC/TFC/BRGF के तहत जिला परिषदों के पी.डी.खातों में उपलब्ध राशि से की जा सकेगी।

14. योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर जिला आयोजना प्रकोष्ठ, (पंचायती राज विभाग), जिला परिषद स्तर पर मुख्य आयोजना अधिकारी कार्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के माध्यम से किया जावेगा।

15. योजना के लिये निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं अनुसूचियों की प्रति पंचायती राज विभाग की वेबसाईट **www.rajpanchayat.gov.in** पर उपलब्ध है। पंचायती राज संस्थायें वेबसाईट से अनुसूचियों को डाउनलोड करके उपयोग में ले सकेंगी

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. श्रीमती रश्मि शुक्ला शर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. जिला कलक्टर–जिला समस्त।
7. समस्त अधिकारी गण, पंचायती राज विभाग।
8. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (SAP), ग्रामीण विकास विभाग।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी–जिला परिषद–समस्त।
10. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–समस्त को भिजवाकर लेख है कि योजनान्तर्गत प्रिंटिंग/स्टेशनरी/पोस्टेज एवं अन्य आवश्यक व्ययों का पुर्नभरण SFC/TFC/BRGF के तहत जिला परिषदों के पी.डी.खातों में उपलब्ध राशि से करावें।
11. मुख्य आयोजना अधिकारी – जिला समस्त को भिजवाकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देशों/अनुसूचियों की प्रति प्रत्येक सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं को 31 जुलाई, 2011 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें एवं योजना के सदस्य सचिव के रूप में निर्धारित कार्य योजना अनुसार जिला कलक्टर के सहयोग से सभी आवश्यक कार्यवाही निष्पादित करावें।
12. उप खण्ड अधिकारी, समस्त।
13. विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, नरेगा, पंचायत समिति–समस्त।

शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज

[redacted]

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः पराવि/आप्र/PEAIS/2011/ 617 जयपुर, दिनांक 22/07/2011

:: आदेश ::

संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कोष, कार्मिक एवं गतिविधियां हस्तान्तरित/क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई कार्यवाही का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा **Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme** लागू की गई है।

योजना के नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ–साथ बेहतर कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया जावेगा। बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली पंचायती राज संस्थाओं का चयन राज्य स्तर पर किया जाना है अतः चयन की प्रक्रिया निर्धारण करने एवं योजना के क्रियान्व्यन हेतु एक राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति (State Panchayat Performance Assessment Committee, SPPAC) का एतद् द्वारा निम्नानुसार गठन किया जाता हैः–

1.	शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज	अध्यक्ष
2.	शासन उप सचिव, प्रशा.2, पंचायती राज	सदस्य
3.	परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (SAP), ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
4.	प्रतिनिधि, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, (प्रो. अनिता),	सदस्य
5.	शासन उप सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज	सदस्य सचिव

उक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगीः–

1. तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के कार्यो का मूल्यांकन करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित सकेंतांक, मार्किग स्कीम एवं प्रश्नावली को अन्तिम रूप देते हुए पंचायती राज संस्थाओं को जारी करना।
2. चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी करना, चयन प्रक्रिया की समय–समय पर संवीक्षा करना एवं आवश्यकतानुसार संशोधित दिशा–निर्देश प्रदान करना।
3. जिला परिषदों से सम्बन्धित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त कर बेहतर कार्य करने वाली जिला परिषद का चयन करना एवं भारत सरकार को सिफारिश करना।
4. जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रत्येक जिले के लिये चयनित एक–एक पंचायत समिति/ग्राम पंचायत में से राज्य के लिये निर्धारित संख्या (2 पंचायत समितियों एवं 5 ग्राम पंचायतों) के अनुसार पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों का पुरस्कार के लिये चयन करना एवं भारत सरकार को सिफारिश करना।
5. जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समितियों द्वारा चयनित पंचायत समितियों एवं ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समितियों द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में प्रस्तुत सूचनाओं की पुष्टि हेतु अधिकारी मनोनीत करना एवं तथ्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
6. पुरस्कार स्वरूप प्राप्त राशि के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी करना।

समिति की सोंपे गये कार्यो के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार बैठके आयोजित की जावेंगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

D:\drive d data\New D-Planning\Subhash Khandelwal\PEAIS Final\letter (2).DOC

प्रतिलिपिः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. श्रीमती रश्मि शुक्ला शर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. जिला कलक्टर—जिला समस्त।
7. समस्त अधिकारी गण, पंचायती राज विभाग। XEN (TC)
8. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (SAP), ग्रामीण विकास विभाग।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य आयोजना अधिकारी – जिला परिषद समस्त।

शासन उप सचिव
जिला आयोजना

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः परावि/आप्र/PEAIS/2011/ 618 जयपुर, दिनांक 22.7.11

:: आदेश ::

संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कोष, कार्मिक एवं गतिविधियां हस्तान्तरित/क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई कार्यवाही का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा **Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme** लागू की गई है।

योजना के नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ–साथ बेहतर कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया जावेगा। बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली पंचायती राज संस्थाओं का चयन राज्य स्तर पर किया जाना है चयन की प्रक्रिया निर्धारण करने एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु एक राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति (State Panchayat Performance Assessment Committee, SPPAC) का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के मूल्यांकन हेतु सकेंतांक, मार्किंग स्कीम एवं प्रश्नावली का मॉडल प्रारूप भिजवाया गया है जिसे राज्य स्तरीय समिति के द्वारा अन्तिम रूप दिया जावेगा। उक्त प्रारूप में वर्णित सूचनाओं के आधार पर बेहतर कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं का चयन करने हेतु एक जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति का एतद् द्वारा निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	मुख्य आयोजना अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगी:–

1. राज्य स्तरीय समिति से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के कार्यो का निर्धारित प्रारूपों के अनुसार वांछित सूचना प्राप्त कर मूल्यांकन हेतु कार्यवाही करना।
2. जिला परिषद से सम्बन्धित सूचनायें निर्धारित प्रारूपों में पूर्ती कर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रपत्रों में ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समितियों से प्राप्त कर बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली पंचायत समिति व ग्राम पंचायत (जिले में एक–एक) का चयन करना एवं स्वयं की अभिशंषा सहित राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करना।
4. चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समिति से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना एवं इन दिशा–निर्देशों को ब्लॉक स्तरीय समितियों को उपलब्ध करवाना।
5. ब्लॉक स्तरीय समितियों द्वारा की जा रही चयन प्रक्रिया की समय–समय पर संवीक्षा करना।
6. पुरस्कार राशि के उपयोग सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राशि का उपयोग कर निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करना।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. श्रीमती रश्मि शुक्ला शर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. जिला कलक्टर–जिला समस्त।
7. समस्त अधिकारी गण, पंचायती राज विभाग।
8. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (SAP), ग्रामीण विकास विभाग।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य आयोजना अधिकारी – जिला परिषद समस्त।

शासन उप सचिव
जिला आयोजना

D:\drive d data\New D-Planning\Subhash Khandelwal\PEAIS Final\letter (2).DOC

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः पराविं/आप्र/PEAIS/2011/ 619 जयपुर, दिनांक 22.7.11

:: आदेश ::

संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कोष, कार्मिक एवं गतिविधियां हस्तान्तरित/क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई कार्यवाही का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा **Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme** लागू की गई है।

योजना के नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ–साथ बेहतर कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया जावेगा। बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली पंचायती राज संस्थाओं का चयन राज्य स्तर पर किया जाना है चयन की प्रक्रिया निर्धारण करने एवं योजना के क्रियान्व्यन हेतु एक राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति (State Panchayat Performance Assessment Committee, SPPAC) का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के मूल्यांकन हेतु सकेंतांक, मार्किंग स्कीम एवं प्रश्नावली का मॉडल प्रारूप भिजवाया गया है जिसे राज्य स्तरीय समिति के द्वारा अन्तिम रूप दिया जावेगा। उक्त प्रारूप में वर्णित सूचनाओं के आधार पर बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों का चयन करने हेतु एक ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति का एतद् द्वारा निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

1.	उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2.	सहायक अभियन्ता, नरेगा	सदस्य
3.	विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगी:–

1. राज्य/जिला स्तर से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार पंचायत समिति से सम्बन्धित सूचनायें निर्धारित प्रारूपों में पूर्ती कर जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
2. ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त कर बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली ग्राम पंचायत (प्रत्येक ब्लॉक के लिये एक) का चयन करना एवं स्वयं की अभिशंसा सहित जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करना।
3. चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य/जिला स्तर से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना।
4. ग्राम पंचायतों के चयन प्रक्रिया की समय–समय पर संवीक्षा करना।
5. पुरस्कार राशि के उपयोग सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राशि का उपयोग कर निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत करवाना ~~सुनिश्चित~~ करना।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. श्रीमती रश्मि शुक्ला शर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. जिला कलक्टर–जिला समस्त।
7. समस्त अधिकारी गण, पंचायती राज विभाग।
8. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (SAP), ग्रामीण विकास विभाग।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य आयोजना अधिकारी – जिला परिषद समस्त।
10. उप खण्ड अधिकारी, समस्त।
11. विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, नरेगा, पंचायत समिति–समस्त।

शासन उप सचिव
जिला आयोजना

अनुसूची–"अ"

जिला परिषद के द्वारा किये गये कार्यो के मूल्यांकन के मापदण्डः– (कुल अंक 100)

क्रमांक	विवरण	अधिकतम निर्धारित अंक
(A)	**वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान जिले को प्राप्त राशि का निर्धारित अवधि में उपयोग, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति।**	**15**
(a)	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध राशि के विरूद्व उपयोग में ली गई राशि का प्रतिशत (अनुसूची 1 के अनुसार)	05
(b)	उपयोग में ली गई राशि के विरूद्व जारी किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि का प्रतिशत (अनुसूची 1 के अनुसार)	10
(B)	**विकास कार्यक्रमों का कियान्वयन**	**15**
(a)	जिले में स्वीकृत इंदिरा आवासों के विरूद्व पूर्ण आवासों का प्रतिशत	03
(b)	स्वीकृत इंदिरा आवासों के पूर्ण होने के साथ निर्मित शौचालयों के उपयोग का प्रतिशत	08
(c)	जिले में पूर्ण इंदिरा आवासों का लाभार्थी द्वारा उपयोग का प्रतिशत	02
(d)	जिले में अपेक्षित स्वंय सहायता समूह (बी.पी.एल) (i) लक्ष्यों के विरूद्व बनाये गये स्वंय सहायता समूह (ii) कार्यरत स्वंय सहायता समूह जिन्हें पूर्ण ऋण मिल चुका है।	02
(C)	**जिला आयोजना समितियों का सशक्तिकरण**	**07**
(a)	जिला आयोजना समिति की वित्तीय वर्ष में कम से कम 4 बैठकों के आयोजना पर	04
(b)	जिले की विभिन्न योजनाओं के निर्माण में जिला आयोजना समिति के निर्णयों की अनुपालना का प्रतिशत	03
(D)	**जिला परिषद की स्थाई समितियों का संचालन**	**10**
(a)	जिला परिषद में गठित स्थाई समितियों की नियमानुसार बैठकों का आयोजना (6X4=24)	10
(E)	**जिला परिषद के प्रशासनिक कार्यो की स्थिति**	**10**
(a)	जिला परिषद स्तर पर हस्तान्तरित विभागों की गतिविधियों, कार्मिक एवं कोषों के क्रियान्वयन में जिला परिषद द्वारा समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन	04
(b)	जिला परिषद की साधारण सभाओं का निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आयोजन।	03
(c)	जिला परिषद में पदस्थापित अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निरीक्षण के मापदंडो विरूद्व निरीक्षण का प्रतिशत	03
(F)	**वित्तीय अनुशासन**	**10**
(a)	जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित सामाजिक अंकेक्षण का प्रतिशत	04
(b)	जिले की किसी भी ग्राम पंचायत/पंचायत समिति में गबन प्रकरण नही होने की स्थिति	03
(c)	जिले की सभी ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति/जिला परिषद् को ई–बेकिंग से राशि का हस्तान्तरण	03

(G)	चारागाह विकासः– चारागाह, चरनोट, ओरन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर (4 अंक) डिच कम बैण्ड फैन्सिंग (2 अंक) चारागाह विकास (4 अंक) एवं वर्षा जल संरचनाओं (Water Harvesting Structures) का निर्माण करते हुए ऐसी भूमियों की सुरक्षा एवं पशु धन के लिए चारा विकास का कार्य एवं इसकें रख–रखाव व सुरक्षा की स्थाई व्यवस्था करना (2 अंक) ग्राम पंचायत क्षेत्र में कम से कम 15 हैक्टेयर (शाहजहांनी जरीब से 60 बीघा भूमि) चारों और खाई खुदाई करवाकर चारागाह एवं वृक्षारोपण के कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करवाना, एवं इसके रख–रखाव के लिए 15 अगस्त तक स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित करना – (3 अंक)	15 अंक
(H)	**अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु**	18
(a)	जिले की विगत वर्ष में ग्राम पंचायतों का भारत सरकार द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत करने पर	02
(b)	अन्य विकास कार्यो में जिलों को प्राप्त पुरूस्कार	02
(c)	जिला परिषद स्तर पर जिलों की निजी आय (गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की निजी आय में 25 प्रतिशत की वृद्वि होने पर)	04
(d)	जिला परिषद द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्व जारी किये गये आवासीय पटटों का प्रतिशत	10
	योग	100

अनुसूची–"ब"

पंचायत समिति के द्वारा किये गये कार्यो के मूल्यांकन के मापदण्डः– (कुल अंक 100)

क्रमांक	विवरण	अधिकतम निर्धारित अंक
(A)	**वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान पंचायत समिति को प्राप्त राशि का निर्धारित अवधि में उपयोग, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति**	15
(a)	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध राशि के विरूद्व उपयोग में ली गई राशि का प्रतिशत (अनुसूची 1 के अनुसार)	05
(b)	वित्तीय वर्ष में उपयोग में ली गई राशि के विरूद्व जारी किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि का प्रतिशत (अनुसूची 1 के अनुसार)	10
(B)	**विकास कार्यक्रमों का कियान्वयन**	15
(a)	पंचायत समिति में स्वीकृत इंदिरा आवासों के विरूद्व पूर्ण आवासों का प्रतिशत	03
(b)	पंचायत समिति स्वीकृत इंदिरा आवासों के पूर्ण होने के साथ निर्मित शौचालयों के उपयोग का प्रतिशत	06
(c)	पंचायत समिति में पूर्ण इंदिरा आवासों का लाभार्थी द्वारा उपयोग का प्रतिशत	02
(d)	पंचायत समिति में अपेक्षित स्वंय सहायता समूह (बी.पी.एल) (i) लक्ष्यों के विरूद्व बनाये गये स्वंय सहायता समूह (ii) कार्यरत स्वंय सहायता समूह जिन्हें पूर्ण ऋण मिल चुका है।	04
(C)	**पंचायत समिति की स्थाई समितियों का संचालन**	05
(a)	पंचायत समिति में गठित स्थाई समितियों की नियमानुसार बैठकों का आयोजना (6X4=24)	05
(D)	**पंचायत समिति के प्रशासनिक कार्यो की स्थिति**	10
(a)	पंचायत समिति स्तर पर हस्तान्तरित विभागों की गतिविधियों, कार्मिक एवं कोषों के क्रियान्वयन में पंचायत समिति द्वारा समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन	05
(b)	पंचायत समिति की साधारण सभाओं का निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आयोजन।	03
(c)	पंचायत समिति पर पदस्थापित अधिकारी/विकास अधिकारी के निरीक्षण के मापदंडो विरूद्व निरीक्षण का प्रतिशत	02
(E)	**वित्तीय अनुशासन**	10
(a)	पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में आयोजित सामाजिक अंकेक्षण का प्रतिशत	03
(b)	पंचायत समिति की किसी भी ग्राम पंचायत/पंचायत समिति में गबन प्रकरण नही होने की स्थिति	03
(c)	पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों को ई–बैकिंग से राशि का हस्तान्तरण	04

(F)	**महात्मा गांधी नरेगा**	**08**
(a)	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को 30 जून तक पूर्ण कर कियाशील करना– पंचायत समिति स्तरीय सेवा केंद्र को 30 जून तक पूर्ण करना एवं ग्राम पंचायत स्तरीय समस्त सेवा केंद्रों का 31 जुलाई तक निर्माण पूर्ण करते हुए सेवा केंद्र में इंटरनेट, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रशिक्षण केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर आदि को पूर्णतया कियाशील बनाना। (08 अंक)	08
(G)	**चारागाह विकासः–** चारागाह, चरनोट, ओरन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर (4 अंक) डिच कम बैण्ड फैन्सिंग (2 अंक) चारागाह विकास (4 अंक) एवं वर्षा जल संरचनाओं (Water Harvesting Structures) का निर्माण करते हुए ऐसी भूमियों की सुरक्षा एवं पशु धन के लिए चारा विकास का कार्य एवं इसकें रख–रखाव व सुरक्षा की स्थाई व्यवस्था करना (2 अंक) ग्राम पंचायत क्षेत्र में कम से कम 15 हैक्टेयर (शाहजहांनी जरीब से 60 बीघा भूमि) चारों और खाई खुदाई करवाकर चारागाह एवं वृक्षारोपण के कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करवाना, एवं इसके रख–रखाव के लिए 15 अगस्त तक स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित करना – (3 अंक)	**15**
(H)	**अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु**	**22**
(a)	पंचायत समिति की विगत वर्ष में ग्राम पंचायतों का भारत सरकार द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत करने पर	03
(b)	अन्य विकास कार्यो में पंचायत समिति को प्राप्त पुरूस्कार	03
(c)	जिलें में पंचायत समिति स्तर पर पंचायतों की निजी आय (गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की निजी आय में 25 प्रतिशत की वृद्वि होने पर)	08
(d)	पंचायत समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्व जारी किये गये आवासीय पटटों का प्रतिशत	08
	योग	**100**

अनुसूची–"स"

ग्राम पंचायत के द्वारा किये गये कार्यो के मूल्यांकन के मापदण्डः– (कुल अंक 100)

क्रमांक	विवरण	अधिकतम निर्धारित अंक
(A)	**वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्त राशि का निर्धारित अवधि में उपयोग, उपयोग करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति**	**15**
(a)	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध राशि के विरूद्व उपयोग में ली गई राशि का प्रतिशत (अनुसूची 1 के अनुसार)	5
(b)	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त (उपलब्ध) राशि के विरूद्व उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का प्रतिशत (अनुसूची 1 के अनुसार)	10
(B)	**विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन**	**15**
(a)	ग्राम पंचायत में स्वीकृत इंदिरा आवासों के विरूद्व पूर्ण आवासों का प्रतिशत	03
(b)	स्वीकृत इंदिरा आवासों के पूर्ण होने के साथ निर्मित शौचालयों के उपयोग का प्रतिशत	08
(c)	ग्राम पंचायत में अपेक्षित स्वंय सहायता समूह (बी.पी.एल)– (i) लक्ष्यों के विरूद्व बनाये गये स्वंय सहायता समूह का प्रतिशत (ii) कार्यरत स्वंय सहायता समूह जिन्हें पूर्ण ऋण मिल चुका है।	04
(C)	**लेखा प्रणाली / रिकार्ड का संधारण**	**10**
(a)	ग्राम पंचायतों के लेखों एवं अन्य रिकार्ड का नियमानुसार संधारण ।	05
(b)	विगत वर्ष में कोई भी गबन प्रकरण एवं गम्भीर अनियमितता नही पाये जाने की स्थिति ।	05
(D)	**स्वच्छता का स्तर**	**05**
(a)	सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत होने पर	05
(E)	**ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यो की स्थिति**	**21**
(a)	ग्राम पंचायत स्तर पर 5 विभागों की हस्तान्तरित गतिविधियों के क्रियान्वयन में स्थाई समिति की बैठक का नियमानुसार आयोजन (6X4=24)	07
(b)	ग्राम सभाओं का निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आयोजन।	03
(c)	ग्राम पंचायत की निर्धारित बैठकों का आयोजन (2X12=24)	07
(d)	ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक के निरीक्षण के मापदंडो के विरूद्व किये गये निरीक्षण का प्रतिशत	04
(F)	**चारागाह विकासः–**	**15**
	चारागाह, चरनोट, ओरन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर (6 अंक) डिच कम बैण्ड फैन्सिंग (3 अंक) चारागाह विकास (6 अंक) एवं	15

(G)	**अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु**	19
(a)	ग्राम पंचायतों की निजी आय (गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की निजी आय में 25 प्रतिशत की वृद्वि होने पर)	10
(b)	ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्व जारी किये गये आवासीय पटटों का प्रतिशत	03
(c)	ग्राम पंचायत क्षेत्र में 90 प्रतिशत आवासों में विद्युत कनेक्शन स्थापित होने पर	03
(d)	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र को 30 जून तक पूर्ण कर क्रियाशील करना– सेवा केन्द्र का 30 जून तक निर्माण पूर्ण करते हुए सेवा केन्द्र में इन्टरनेट, कॉमन सर्विस सेन्टर, मिनी बैंक आदि को पूर्णतया क्रियाशील बनाने पर इस गतिविधि में पूर्णाक (03) देय होंगे अन्यथा शून्य अंक ही देय होगा।	03
	योग	100